संख्या-88/2021/आई/65207/2021-71-1001(099)/148/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर तथा कन्नौज के विभिन्न विभागों में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2021-22/85, दिनॉक 30.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं के संचालन हेतु अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, अम्बेडकर नगर तथा कन्नौज में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों की कन्ज्युमेबिल्स/मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 3,61,26,976.00 (रू0 तीन करोड़ इकसठ लाख छब्बीस हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0	कालेज का नाम	अनुरक्षण के कार्य	प्रस्तावित धनराशि
1	मेडिकल कलेज कानपुर	विभिन्न विभागो में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/ सी0एम0सी0/ कन्ज्यूमेबिल्स हेतु।	9549929.00
2	मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर	विभिन्न विभागो में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 / कन्ज्यूमेबिल्स हेतु।	11009910.00
3	मेडिकल कालेज, कन्नौज	विभिन्न विभागो में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/ कन्ज्यूमेबिल्स हेतु।	15567137.00
		योग	36126976.00

2- उपर्युक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनाॅक 23.09.2008 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376- राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सकीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-उपरोक्त तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर तथा कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर तथा कन्नौज।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, अम्बेडकरनगर तथा कन्नौज।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।